राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार 2018
अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः प.12(3)राज–1/2018 जयपुर, दिनांक : 06.04.2018

समस्त जिला कलक्टर्स,
राजस्थान।

विषयः– **राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार–2018' दिनांक 01 मई 2018 से 30 जून, 2018 के मध्य आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय/महोदया,

मा. मुख्यमंत्री महोदया द्वारा वर्ष 2015–16 में पैरा संख्या 195 एवं 2017–18 में पैरा संख्या 284 पर की गयी बजट घोषणाओं की निरन्तरता में आम नागरिकों को व्यापक स्तर पर राहत दिये जाने हेतु राज्य सरकार की महत्वपूर्ण फ्लेगशिप योजना 'न्याय आपके द्वार' संचालित है। **राज्य सरकार के स्तर पर लिये गये निर्णयानुसार इस वर्ष 'राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार–2018' का आयोजन आगामी 01 मई 2018 से 30 जून, 2018 तक की अवधि में किया जायेगा।**

I- राजस्व लोक अदालतों में सम्पादित किए जाने वाले कार्य :–

1. राजस्व लोक अदालतों में राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 53, 88, 188, 183 के तहत दर्ज मुकदमें एवं इजराज के प्रार्थना पत्र।
2. पत्थरगढ़ी एवं सीमाज्ञान।
3. भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत लम्बित प्रार्थना पत्र एवं नामान्तरकरण तथा धारा–91 की कार्यवाही के संबंध में लम्बित अपीलें।
4. विभिन्न तरह के लम्बित वादों व प्रार्थना पत्रों के परिप्रेक्ष्य में अन्य प्रकार के प्रकरणों को आवश्यकतानुसार लोक अदालतों में विचारण हेतु रखे जा सकते हैं।
5. बंद रास्तों को खुलवाने, संकड़े रास्तों का अतिक्रमण हटाने तथा नये रास्ते दर्ज कराने सहित रास्ता संबंधी समस्याओं का निवारण।
6. ग्राम पंचायत के लम्बित सभी नामान्तरकरणों का निस्तारण।
7. पारिवारिक कृषि भूमि के सहमति से विभाजन के नवीन प्रकरण दर्ज कर अभियान दिवस पर निस्तारण।
8. लम्बित गैर खातेदारी के प्रकरणों में खातेदारी दिया जाना।
9. राजस्व अभिलेखों में लिपिकीय त्रुटियों का शुद्धीकरण।
10. नवीन राजस्व ग्रामों के लिये नोर्म्स के अनुसार प्रस्ताव तैयार किया जाना।

कृपउ...2 पर

राजस्व लोक अदालत के संबंध में राजस्व मण्डल की ओर से समय-समय पर जारी परिपत्रों का गहन अध्ययन कर उपरोक्त प्रकरणों का निस्तारण राजस्व लोक अदालतों में किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

II- राजस्व लोक अदालत अभियान के आयोजन के संदर्भ में की जाने वाली व्यवस्थाएँ :-

राजस्व लोक अदालत अभियान के सुचारू एवं प्रभावी आयोजन के परिप्रेक्ष्य में निम्न व्यवस्थाएँ निर्धारित समय सीमा में सुनिश्चित किया जावें:-

1. राजस्व लोक अदालत के साथ-साथ इस अभियान में व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं से संबंधित विभागों की भी भागीदारी रहेगी, इसलिए यह सुनिश्चित किया जावे कि प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर राजस्व लोक अदालत अभियान का आयोजन हो सके। इसी के अनुसार शिविर कार्यक्रम जारी किया जावे।
2. आरसीएमएस सॉफ्टवेयर में राजस्व अदालतों में लम्बित/निस्तारित मुकदमों का विवरण (सत्यापित प्रति भिजवाते हुए) अपलोड कराया जावे। पीठासीन अधिकारी द्वारा पोर्टल को देखकर प्रतिदिन यह सुनिश्चित किया जावे कि वास्तविक सूचना का पोर्टल पर अपडेशन सही प्रकार से हुआ है/हो रहा है।
3. जिले के समस्त उपखण्ड अधिकारीगण/सहायक कलक्टर्स, अति० जिला कलक्टर, राजस्व अपील अधिकारी/भू-प्रबंध अधिकारी द्वारा राजस्व लोक अदालत के संबंध में राज्य स्तर पर आयोजित आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया गया है, इसकी सुनिश्चितता की जावे।
4. राजस्व लोक अदालत के संबंध में जिला स्तर पर राजस्व अधिकरियों एवं संबंधित कार्मिकों का प्रशिक्षण दिनांक 20.04.2018 से पूर्व आयोजित करवाया जाना।
5. तहसील स्तर पर राजस्व कार्मिकों का प्रशिक्षण एवं निर्देशन दिनांक 22.04.2018 तक।
6. जिला स्तर पर राजस्व लोक अदालतों के आयोजन के संदर्भ में विभिन्न प्रशासनिक तैयारियां दिनांक 25.04.2018 तक पूर्ण की जावें।
7. जमाबन्दियों में लिपिकीय त्रुटियों के चिह्नीकरण एवं लम्बित नामान्तरकरणों के प्रकरणों को चिह्नित किये जाने की दृष्टि से सम्बन्धित ग्राम पंचायत पर राजस्व लोक अदालत अभियान से पूर्व ग्राम पंचायत के सभी राजस्व ग्रामों की जमाबन्दी का पठन कर प्रकरणो का चिह्नीकरण किया जाकर आवेदन पत्र तैयार करा लिये जावें, जिससे अभियान के दिवस निस्तारण सम्भव हो सके। इस हेतु सम्बन्धित पटवारी एवं भू-अभिलेख निरीक्षक का कार्यक्रम पूर्व में निर्धारित किया जावे।
8. तहसील/उपखण्ड/जिला स्तर पर प्रतिदिन निस्तारित होने वाले प्रकरणों की संख्या व अन्य सूचनाओं के एकत्रीकरण हेतु नियंत्रण कक्ष का गठन व प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति दिनांक 25.04.2018 से पूर्व की जावे।

कृपउ...3 पर

9. राजस्व लोक अदालतों के विचारण हेतु प्रकरणों का चिह्नीकरण एवं पत्रावलियों की छँटनी।

10. छँटनी किये गये मुकदमों में सभी सम्बन्धित पक्षकारान को सुनवाई हेतु सूचना पत्र जारी किया जाना।

11. पंचायत समिति से संबंधित जनप्रतिनिधियों (मा.सांसद, मा.विधायक, जिला प्रमुख एवं प्रधान) को ग्राम पंचायतवार शिविर/कैम्प कार्यक्रम की प्रति प्रेषित किया जाना।

12. राजस्व लोक अदालतों के कार्यक्रम की प्रति स्थानीय बार एसोसियेशन को दिनांक 30.04.2018 तक उपलब्ध कराया जाना।

13. जिला स्तर पर **'राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार–2018'** का इलेक्ट्रानिक/प्रिंट मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावे।

14. पारिवारिक कृषि भूमि के सहमति से विभाजन के नवीन प्रकरण दर्ज कर अभियान दिवस पर निस्तारण तथा इस हेतु पटवार मण्डल स्तर पर पूर्व तैयारी।

भवदीय

(खेमराज)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

निर्देशानुसार प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, सचिव (द्वितीय), मा० मुख्यमंत्री।
2. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मा. मंत्री/राज्यमंत्री/संसदीय सचिव।
3. समस्त निजी सहायक, मा0 सांसद/विधायक/जिला प्रमुख/प्रधान। **(द्वारा संबंधित जिला कलक्टर)**
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव राज0।
5. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्व मण्डल राज0 अजमेर।
6. समस्त निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
7. प्रमुख शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, राजस्व विभाग।
8. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
9. समस्त राजस्व अपील प्राधिकारी/भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी राज0 (द्वारा संबंधित जिला कलक्टर)
10. आयुक्त, उपनिवेशन विभाग, बीकानेर।
11. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
12. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. निदेशक, राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर रोड, अजमेर।
14. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव, राजस्व व उपनिवेशन विभाग।
15. रक्षित पत्रावली।

(एस.आर. पिलानिया)
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प.12(3)राज-1/2018 जयपुर, दिनांक : 06/04/18

: आदेश :

'राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार -2018' के तहत 01 मई से 30 जून, 2018 तक की अवधि में समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर राजस्व लोक अदालत कैम्पों का आयोजन किया जा रहा है। राजस्व लोक अदालत अभियान में व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं से संबंधित 15 अन्य विभागों की भी भागीदारी रहेगी। राजस्व विभाग को इसका नोडल विभाग बनाया गया है।

राज्य स्तर पर श्री एस.आर.पिलानिया, संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-9)विभाग (मो.न.9929595914) को प्रभारी अधिकारी एवं इनकी सहायता हेतु श्री हेमनदास रामचन्दानी, शासन उप सचिव, सैनिक कल्याण विभाग (मो.9414041537) को सहायक प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

(खेमराज)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व विभाग।
2. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर्स, राजस्थान।
3. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-4/2) विभाग।
4. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (ख) विभाग।
5. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव, राजस्व विभाग।
6. निबंधक, राजस्व मण्डल राज0 अजमेर।
7. श्री आर.सी. शर्मा, संयुक्त निदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग। (प्रभारी आरसीएमएस पोर्टल)
8. संबंधित अधिकारी/कार्मिक।

संयुक्त शासन सचिव

राजस्व लोक अदालत अभियान
आवश्यक

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः प.12(3)राज–1/2018 जयपुर, दिनांकः 06.04.2018

समस्त संभागीय आयुक्त,
राजस्थान।

विषयः– "राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार 2018" के दौरान शिविर/कैम्प कोर्टस का पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार की महत्वपूर्ण फ्लेगशिप योजना के तहत आगामी "राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार, 2018" (दिनांक 01 मई 2018 से 30 जून, 2018 तक) के दौरान आपके अधीनस्थ समस्त जिलों में आयोजित शिविर/कैम्प कोर्टस का पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण करने का श्रम करें तथा आप द्वारा किये गये पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान प्राप्त वस्तुस्थिति, अनुभव एवं सुझाव से राज्य सरकार को अवगत कराने का श्रम करावें।

भवदीय

(खेमराज)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि : समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संयुक्त शासन सचिव

राजस्व लोक अदालत अभियान
आवश्यक

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1 विभाग

क्रमांकः प.12(3)राज-1/2018 जयपुर, दिनांक : 06.04.2018

समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान।

विषयः- राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार 2018 की पूर्व तैयारी व जिला स्तर पर प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

राज्य सरकार की महत्वपूर्ण फ्लेगशिप योजना 'राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार -2018' (01 मई 2018 से 30 जून, 2018 तक) के तहत राज्य की समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट्स का आयोजन किया जाना है। राजस्व लोक अदालत अभियान में व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं से संबंधित अन्य 15 विभागों की भी भागीदारी रहेगी। राजस्व विभाग को इसका नोडल विभाग बनाया गया है। अतः न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के लिए ग्राम पंचायतवार शिविर कार्यक्रम जारी किया जाकर 15 विभागों से संबंधित जिला स्तर के अधिकारीगण को सूचित किया जावे, ताकि अभियान में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

उक्त अभियान की जिला स्तर पर नियमित रूप से प्रभावी मॉनीटरिंग/समीक्षा हेतु अतिरिक्त जिला कलक्टर या प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जावे तथा अभियान अवधि में जिला/उपखण्ड स्तर पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर प्रभारी अधिकारी का नाम/पदनाम/मोबाईल नम्बर की सूचना से अवगत करावें।

उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर को किसी भी स्थिति में जिला स्तर के नियंत्रण कक्ष में नहीं लगाया जावे, उन्हें न्यायालय कार्य हेतु रखा जावे।

प्रभारी अधिकारी राजस्व न्यायालयों द्वारा संपादित कार्यवाही/निस्तारित प्रकरणों की सत्यापित सूचना को आरसीएमएस पोर्टल पर दैनिक रूप से अपडेट करवाना सुनिश्चित करेंगे।

भवदीय

(एस.आर. पिलानिया)
संयुक्त शासन सचिव

निर्देशानुसार प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, मा. राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राजस्व विभाग।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, राज0।
3. निबंधक, राजस्व मण्डल राज0, अजमेर।

संयुक्त शासन सचिव

राजस्व लोक अदालत अभियान
आवश्यक

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांकः प.12(3)राज-1/2018 जयपुर, दिनांकः 06.04.2018

1. **समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।**
2. **समस्त अतिरिक्त जिला कलक्टर**, राज0

विषयः- राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार 2018, के क्रम में लोक अदालत आयोजित करने हेतु।

महोदय,

मा. मुख्यमंत्री महोदया द्वारा वर्ष 2015-16 में पैरा संख्या 195 एवं 2017-18 में पैरा संख्या 284 पर की गयी बजट घोषणाओं की निरन्तरता में राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार-2018 (01 मई 2018 से 30 जून, 2018 तक) के दौरान न्यायालय जिला कलक्टर एवं न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर में लम्बित राजस्व मुकदमों में जो प्रकरण लोक अदालत में रखे जाने योग्य हों, उन्हें लोक अदालत में रखा जाना है। इस सम्बन्ध में राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा पूर्व में जो निर्देश जारी किये हुए हैं, की पालना करते हुए उक्त न्यायालयों में लम्बित मुकदमों को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यकतानुसार लोक अदालतों का आयोजन किया जावे। मुख्यालय के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर मुकदमों की संख्या एवं आवश्यकता को देखते हुए लोक अदालत आयोजन का निर्णय लिया जावे।

भवदीय

(एस.आर. मिलानिया)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. निजी सचिव, सचिव (द्वितीय), मा. मुख्यमंत्री कार्यालय।
2. वैयक्तिक सचिव, मा. राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राजस्व विभाग।
3. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
4. प्रमुख शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, राजस्व विभाग।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. समस्त संयुक्त/उप शासन सचिव, राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग।

संयुक्त शासन सचिव

राजस्व लोक अदालत अभियान
आवश्यक

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः प.12(3)राज–1/2018 जयपुर, दिनांकः 06.04.2018

1. **समस्त राजस्व अपील अधिकारी, राजस्थान।**
2. **समस्त भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, राजस्थान (द्वारा –संबंधित जिला कलक्टर)**

विषयः– राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार 2018, के क्रम में लोक अदालत आयोजित करने हेतु।

महोदय,

मा. मुख्यमंत्री महोदया द्वारा वर्ष 2015–16 में पैरा संख्या 195 एवं 2017–18 में पैरा संख्या 284 पर की गयी बजट घोषणाओं की निरन्तरता में **'राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार–2018'** (01 मई 2018 से 30 जून, 2018 तक) के दौरान राजस्व अपीलीय न्यायालय में लम्बित राजस्व मुकदमों में जो प्रकरण लोक अदालत में रखे जाने योग्य हों, उन्हें लोक अदालत में रखा जाना है। इस सम्बन्ध में राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा पूर्व में जो निर्देश जारी किये हुए हैं, की पालना करते हुए उक्त न्यायालयों में लम्बित मुकदमों को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यकतानुसार लोक अदालतों का आयोजन किया जावे। मुख्यालय के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर मुकदमों कीं संख्या एवं आवश्यकता को देखते हुए लोक अदालत आयोजन का निर्णय लिया जावे।

राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार 2018 की मॉनीटरिंग/समीक्षा आरसीएमएस पोर्टल के माध्यम से की जावेगी। अतः दर्ज/निस्तारित समस्त राजस्व प्रकरणों की सही सूचना सत्यापित कर आरसीएमएस पोर्टल में नियमित रूप से अपडेशन करवाने का श्रम करें।

भवदीय

(एस.आर. [illegible]निया)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, सचिव (द्वितीय), मा. मुख्यमंत्री कार्यालय।
2. वैयक्तिक सचिव, मा. राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राजस्व विभाग।
3. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
4. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर्स, राजस्थान।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, राजस्व विभाग।
6. समस्त संयुक्त/उप शासन सचिव, राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग।

संयुक्त शासन सचिव

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार 2018

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प0 12(3)राज–1/2018 जयपुर, दिनांक : 11.04.2018

निबंधक,
राजस्व मण्डल राज0,
अजमेर (राज0)

विषय : राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार 2018 के दौरान तहसीलदार (फील्ड पोस्टिंग) के रिक्त पदों पर अभियान अवधि के लिए पदस्थापन करने के संबंध में।

महोदय,

मा. मुख्यमंत्री महोदया द्वारा बजट घोषणाओं की निरन्तरता में लिये गये निर्णय अनुसार राज्य सरकार की महत्वपूर्ण फ्लेगशिप योजना "राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार 2018" के तहत आगामी 01 मई 2018 से 30 जून, 2018 तक की अवधि में समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट का आयोजन किया जा रहा है।

वर्तमान में विभिन्न जिलों में तहसीलदारों की फील्ड पोस्टिंग के पद रिक्त है। तहसीलदारों के पद रिक्त होने के कारण अभियान के संचालन में कठिनाई होगी।

अतः तहसील कार्यालयों में रिक्त चल रहे तहसीलदारों के पदों पर नॉन फील्ड में पदस्थापित तहसीलदारगण/उप पंजीयकगण को अभियान अवधि में पदस्थापित किये जाने के लिए निर्देशानुसार राजस्व मण्डल, राज0 अजमेर को अधिकृत किया जाता है।

उक्त स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय

(एस.आर. विलानिया)
संयुक्त शासन सचिव

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार 2018
ई-मेल/आज ही

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1 विभाग

क्रमांक : प.12(3)राज-1/2018 जयपुर, दिनांक : 11.04.2018

समस्त जिला कलक्टर राजस्थान।
निबंधक, राजस्व मण्डल राज0, अजमेर।
आयुक्त, उपनिवेशन विभाग, बीकानेर।
समस्त राजस्व अपील प्राधिकारी/भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी।
(द्वारा संबंधित जिला कलक्टर)

विषय : राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार 2018 के सफल आयोजन हेतु बैंच गठन की स्वीकृति एवं मानदेय के संबंध में।

महोदय/महोदया,

मा. मुख्यमंत्री महोदया द्वारा की गयी बजट घोषणाओं की निरन्तरता में लिये गये निर्णय अनुसार राज्य सरकार की महत्वपूर्ण फ्लेगशिप योजना ''राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार 2018'' के तहत आगामी 01 मई 2018 से 30 जून, 2018 तक की अवधि में समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट का आयोजन किया जा रहा है।

मा. मुख्यमंत्री महोदया के निर्देशानुसार अन्य 15 विभागों में संचालित व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं से संबंधित कार्य भी इस अभियान के दौरान संपादित कर आमजन को राहत पहुंचायी जानी है।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्र क्रमांक एफ. 4(139)/रालसा/डीएसएडीआर/एनएलए/2017/4458, दिनांक 03.05.2017 एवं संदर्भित परिपत्र क्रमांक रालसा/परिपत्र/1/2015, दि. 24.01.2015, 12369-12402, दि.01.12.2015 तथा रालसा/2016/15, दि. 17.11.2016 की छाया प्रतियां संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

निर्देशानुसार लेख है कि कृपया अभियान के सुचारू संचालन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें :-

1. राजस्व लोक अदालत के लिए गठित होने वाली बैंच में अधिकतम 03 और न्यूनतम 02 सदस्यों को मिलाकर बैंच का गठन किया जा सकता है, जिसमें 01 अध्यक्ष और 01 अधिवक्ता तथा 01 समाज सेवी कार्य कर सकता है।

कृपउ......2 पर

2. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम, 1999 के विनियम 37 के तहत लोक अदालत की बैंच में कार्य करने वाले सदस्यों को प्रत्येक दिवस के लिए 500 रू0 मानदेय तभी दिया जावेगा, जब बैंच का गठन अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो। अतः राजस्व लोक अदालत के लिए गठित होने वाली प्रत्येक लोक अदालत बैंच का गठन संबंधित स्थान के अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति से अनुमोदन प्राप्त करके किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

3. यदि पीठासीन अधिकारी राजकीय अवकाश के दिवस पर अनुमोदन से गठित बैंच में कार्य करता है तो ऐसी स्थिति में वह अपने मूल वेतन का एक दिवसीय मानदेय प्राप्त करने का अधिकारी रहेगा और उसका भुगतान धारा 4सी से संबंधित अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करने पर किया जावेगा।

'लोक अदालत' हेतु परिपत्र/विस्तृत दिशा-निर्देश की प्रति www.rlsa.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(एस.आर. मीलानिया)
प्रभारी एवं
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

(हेमन्तदास रामचन्दानी)
प्रभारी अधिकारी एवं
शासन उप सचिव

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार 2018

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः प.12(3)राज–1/2018 जयपुर, दिनांकः 11.04.2018

समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान
समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
समस्त राजस्व अपील प्राधिकारी, भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
(द्वारा संबंधित जिला कलक्टर)

विषय : राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार 2018 के दौरान राजस्व प्रकरणों का निस्तारण 'लोक अदालत' की भावना के अनुरूप करवाने हेतु।

महोदय/महोदया,

राज्य सरकार की महत्वपूर्ण फ्लेगशिप योजना ''राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार –2018'' (01 मई 2018 से 30 जून, 2018 तक) के तहत राज्य की समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट्स का आयोजन किया जाना है। गत अभियानों की भांति इस अभियान में भी पुराने लंबित/नये प्राप्त राजस्व प्रकरणों का निस्तारण कर आमजन को राहत पहुंचाई जानी है। विभिन्न स्तरों पर अभियान की मॉनीटरिंग आरसीएमएस पोर्टल पर प्रतिदिन अपडेट सूचना के आधार पर की जावेगी।

राज्य सरकार के यह ध्यान में लाया गया है कि गत अभियानों में राजस्व केम्प अधिकारीगण द्वारा अधिक आंकड़े दर्शाने की होड़ में अधिकतर मुकदमें समझाईश व समझौते करवाये बिना अदम हाजरी, अदम पैरवी व तलबाना के अभाव में या बिना सुनवाई का अवसर दिये गंभीर व पैचेदगीपूर्ण मुकदमों को बिना बहस सुने निस्तारण कर दिया जाता है, जिससे आम जनता को न्याय मिलने के बजाय कई मामलों में अभाव का सामना करना पडता है तथा ऐसे मुकदमों को पुनः नंबर पर लेने के लिए पक्षकारों व अभिभाषकों को भारी संघर्ष करना पड़ता है। यह स्थिति राज्य सरकार की भावना के अनुरूप नहीं है।

अतः निर्देशानुसार लेख है कि कृपया राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार 2018 के दौरान समस्त पीठासीन अधिकारीगण से राजस्व प्रकरणों का निस्तारण राज्य सरकार की भावना के अनुरूप एवं 'लोक अदालत' के नियमानुसार करवाकर आमजन को राहत पहुंचाने का श्रम करावें।

भवदीय

(एस.आर. पिलानिया)
प्रभारी एवं
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित है –

1. विशिष्ठ सहायक , मा. राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजस्व विभाग ।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव ।
3. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव, राजस्व विभाग।

11/4/18

(हेमन्दास रामचन्दानी)
प्रभारी अधिकारी एवं
शासन उप सचिव

राजस्व लोक अदालत अभियान
मॉनीटरिंग/समीक्षा/आवश्यक

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः प.12(3)राज–1 / 2018 जयपुर, दिनांकः 11.04.2018

समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान।

विषयः– राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार 2018 की सत्यापित सूचना का अपडेशन, जिला स्तर पर नियमित मॉनीटरिंग / समीक्षा कर कार्यवाही करने बाबत।

महोदय / महोदया,

'राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार –2018' के तहत 01 मई से 30 जून, 2018 तक की अवधि में समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर राजस्व लोक अदालत कैम्पों का आयोजन किया जा रहा है। विभिन्न स्तरों पर अभियान की मॉनीटरिंग / समीक्षा RCMS पोर्टल पर अपडेट सूचना के आधार पर की जा रही है।

संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा निस्तारित प्रकरणों की सत्यापित सूचना की प्रति स्वयं के कार्यालय / जिला स्तर के नियंत्रण कक्ष में रखी जावे। सत्यापित सूचना के अनुरूप ही RCMS पोर्टल पर **दैनिक रूप** से अपडेट करावें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि गलत / असत्य सूंचना को किसी भी स्थिति में RCMS पोर्टल पर अपडेट नहीं किया जावे। यदि गलत तथ्य / सूचना RCMS पोर्टल पर अंकित हो गयी हो तो सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग में RCMS पोर्टल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर श्री हरिशंकर दत्तात्रेय (मोबाईल नं. 9785368849) से सम्पर्क कर सही एवं सत्यापित सूचना उसी दिन / तत्काल अपडेट करवा दें।

जिला स्तर के नियंत्रण कक्ष से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह जिला स्तर पर RCMS पोर्टल पर मॉनीटरिंग / चिन्हित कर जिले के समस्त पीठासीन अधिकारियों से अभियान के दौरान निस्तारित प्रकरणों की दैनिक सत्यापित सूचना प्रतिदिन सायंकाल 07.30 बजे तक टास्क के रूप में नियमित अपडेट करवाना सुनिश्चित करावें। जिले के समस्त पीठासीन अधिकारियों द्वारा सूचना अपडेट कर दिये जाने की सूचना सायं 08.00 बजे तक प्रतिदिन राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष में दूरभाष पर दी जावे।

अभियान की मूल भावना के अनुरूप जिला स्तर पर साप्ताहिक मॉनीटरिंग / समीक्षा कर लोक अदालत शिविरों / कैम्प कोर्टस में अधिक से अधिक पुराने लंबित तथा नये दर्ज राजस्व प्रकरणों का निस्तारण किया जाना सुनिश्चित किया जावे। जिले के जिस उपखण्ड में प्रकरणों का निस्तारण औसत से कम हो उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर मुस्तैदी से कार्य करने हेतु पाबंद किया जावे।

भवदीय

(एस.आर. मीलानिया)
प्रभारी एवं
संयुक्त शासन सचिव

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार 2018
सफलता की कहानियां

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः प.12(3)राज–1/2018 जयपुर, दिनांकः 11.04.2018

समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान।

विषयः– राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार 2018, में निस्तारित विशेष प्रकरणों को सफलता की कहानियां प्रकाशन के संबंध में।

महोदय,

राज्य सरकार की महत्वपूर्ण फ्लेगशिप योजना "राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार –2018" (01 मई 2018 से 30 जून, 2018 तक) के तहत राज्य की समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट्स का आयोजन किया जाना है। मा. मुख्यमंत्री महोदया की भावना के अनुरूप इस अभियान के दौरान भी राजस्व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों द्वारा नये तथा पुराने राजस्व प्रकरणों का निस्तारण कर आमजन को बड़ी राहत प्रदान की जावेगी।

निर्देशानुसार लेख है कि अभियान के प्रति रूचि बढाने तथा जागरूकता बढाने हेतु यह आवश्यक है कि स्थानीय स्तर पर इलेक्ट्रानिक/प्रिंट मीडिया के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाकर प्रभावी मॉनीटरिंग की जावे। अभियान के दौरान निस्तारित विशेष प्रकरणों की उपखण्डवार सफलता की कहानियों तथा राजस्व वादमुक्त होने वाले ग्राम व राजस्व वादमुक्त होने वाली ग्राम पंचायत के समाचार दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराये जावे। जिले के मा. जनप्रतिनिधियों के संदेशों सहित जिला स्तर पर अभियान में निस्तारित विशेष प्रकरणों की सफलता की कहानियों (वादमुक्त ग्राम/ग्राम पंचायतों की पंचायतवार/तहसीलवार सूचना सहित) की पुस्तक छपवाई जाकर ग्राम पंचायत स्तर तक वितरित करायी जावे।

अभियान में निस्तारित विशेष प्रकरणों की सफलता की कहानियों की पुस्तक राज्य स्तर पर भी प्रकाशित करवाकर वितरित करवायी जानी है। अतः अभियान समाप्ति बाद प्रथम सप्ताह में आपके जिले में राजस्व लोक अदालत अभियान में निस्तारित विशेष प्रकरणों की सफलता की कम से कम 15 श्रेष्ठ कहानियों (प्रत्येक उपखण्ड की 2–3 कहानी) से संबंधित सूचना (एमएस वर्ड में तैयार कहानी मय फोटो) एवं अभियान में राजस्व वादमुक्त ग्राम/ग्राम पंचायतों की ग्राम पंचायत/तहसीलवार सूची (एमएस वर्ड में) मय सॉफ्ट कॉपी (सीडी) में इस विभाग को विशेष वाहक के साथ आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

भवदीय

(एस.आर. पिलानिया)
प्रभारी एवं
संयुक्त शासन सचिव

निर्देशानुसार प्रतिलिपि निबंधक, राजस्व मण्डल राज0, अजमेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक बजट उपलब्ध करवाने के संबंध में समुचित कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

11/4/18

(हेमनदास रामचन्दानी)
प्रभारी अधिकारी एवं
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः प.12(3)/राज–1/2018 जयपुर, दिनांकः 11.04.2018

1. समस्त संभागीय आयुक्त।
2. समस्त जिला कलक्टर।

विषयः– 'राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार–2018' के क्रम में।

माननीया मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणाओं की मूल अवधारणा के अनुरूप राजस्थान प्रदेश के किसानों एवं ग्रामीणों के अपने स्वामित्व, खातेदारी अधिकार तथा उत्तराधिकार के झगड़ों और विवादों के विभिन्न राजस्व न्यायालयों में वर्षों से लम्बित चल रहे मुकदमों और उनसे लगातार हो रही श्रम, समय और धन की क्षति की असीम पीड़ा को दृष्टिसात करते हुए गत वर्ष में 'राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार–2017' के दौरान ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर शिविरों का आयोजन किया जाकर विभिन्न प्रकार के कुल 2612875 राजस्व प्रकरणों का रिकॉर्ड निस्तारण किया गया, जो सरकार की एक अभूतपूर्व उपलब्धि रही है। उक्त घोषणा की निरन्तरता में गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर राजस्व लोक अदालतों का आयोजन दिनांक 01 मई 2018 से 30 जून 2018 तक किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस संदर्भ में शीघ्र ही वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपसे चर्चा की जाएगी।

राजस्व लोक अदालत अभियान के सफल आयोजन को दृष्टिगत रखते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि:–

1. इन राजस्व लोक अदालतों में योग्य प्रकरणों का चिह्नीकरण किया जावे तथा इनको RCMS सॉफ्टवेयर पर आवश्यक रूप से अपलोड करा दिये जावे।
2. जिला स्तर पर प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति की जावे।
3. लोक अदालत अभियान के कार्यक्रम की प्रति अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को दी जावे तथा ग्राम पंचायत वार लोक अदालतों की सूचना जनप्रतिनिधियों को भी दी जावे।
4. कैम्पवार बैंच का गठन किया जावे।
5. जिला कार्यालय स्तर पर एक नियंत्रण कक्ष का गठन किया जावे।
6. आवश्यकतानुसार अवकाश के दिनों में भी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट का आयोजन किया जावे।

कृपया उपर्युक्त संदर्भ में तत्काल कार्यवाही की जाकर तत्काल अवगत कराया जाना सुनिश्चित करावें।

(खेमराज)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
2. निबन्धक, राजस्व मण्डल को प्रेषित कर लेख है कि राजस्व अपीलीय अधिकारी एवं जिन भू–प्रबन्ध अधिकारियो द्वारा राजस्व अपीलीय अधिकारी का कार्य सम्पादित किया जा रहा है, उनके न्यायालयों के वादों का विवरण भी RCMS सॉफटवेयर पर अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, योजना भवन, जयपुर।

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 12(3)राज.-1/2018 जयपुर, दिनांक : 24.04.2018

समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान।

विषयः-राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वारा-2018 के संबंध में।

मा. मुख्यमंत्री महोदया द्वारा की गई बजट घोषणाओं की निरन्तरता में राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार 2018" का आयोजन दिनांक 01 मई 2018 से 30 जून 2018 तक किया जायेगा। यह राज्य सरकार का महत्वपूर्ण अभियान है, जिसमें विभिन्न विभागों की सामुहिक एवं व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं को भी सम्मिलित किया गया है। उक्त अभियान के सफल कियान्वयन हेतु यदि जिला कलक्टर अपने क्षेत्र में स्टाफ की कमी/आवश्यकता महसुस करते हो तो उनके जिले में कार्यरत, राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर तथा राज्य की अन्य संबंधित पटवार प्रशिक्षण केन्द्रों में कार्यरत तहसीलदार, नायब-तहसीलदार, भू-अभिलेख निरीक्षक, पटवारी, लिपिक ग्रेड-I, लिपिक ग्रेड-II एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की ड्यूटी राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार-2018" में लगाई जा सकती है। इसी प्रकार इस अभियान में भू-प्रबन्ध विभाग से भी अमीन, निरीक्षक, सदर-मुन्सिरिम, सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जावे।

(खेमराज)
अति. मुख्य सचिव

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग राज., जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि जिन जिला कलक्टरों द्वारा भू-प्रबन्ध स्टाफ की मांग की जावें उस स्टाफ को उक्त अभियान अवधि के लिए उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।
2. निदेशक, राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि जहाँ जहाँ पटवार प्रशिक्षण केन्द्रों में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों को जिला कलक्टरों की मांग के अनुसार उक्त अभियान अवधि के लिए उपलब्ध करावें।
3. निबन्धक, राजस्व मण्डल राज., अजमेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांक प0 6(1)राज–6/2014/पार्ट–1/29 जयपुर, दिनांकः– 12/4/18

अधिसूचना

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 15 वर्ष 1956) की धारा 26 की उप–धारा (1) सपठित धारा 260 उप–धारा (1) खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप–धारा (1) एवं अधिसूचना क्रमांक प. 5 (21) राज–4/80/35 दिनांक 04.09.1982 यथा संशोधित अधिसूचनां क्रमांक प. 5 (21) राज–4/80/18 दिनांक 25.07.2003 के तहत नामान्तकरण के मामलों को निर्णित करने की ग्राम पंचायत की शक्तियां ग्राम पंचायतों के स्थान पर राजस्थान तहसीलदार सेवा के अधिकारियों को राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार–2018 के दौरान उनके क्षेत्राधिकार में प्रयोग करने हेतु एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

यह अधिसूचनां दिनांक 01.05.2018 से 30.06.2018 तक प्रभावशील रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रामनिवास जाट)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया।
2. निजी सचिव, मा0 राजस्व मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व/विशिष्ठ शासन सचिव, राजस्व।
5. निबन्धक राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर।
6. समस्त सम्भागीय आयुक्त राजस्थान।
7. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
8. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को अधिसूचना का राजपत्र विशेषांक दिनांक 12/4/18 में प्रकाशत हेतु।
9. निदेशक, जनसंपर्क राजस्थान को प्रकाशन हेतु।
10. राविरा, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर।
11. निदेशक, जनसम्पर्क, राजस्थान को प्रेस रिलीज हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

12/4

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांक प0 6(1)राज–6/2014/पार्ट–1/30 जयपुर, दिनांकः– 12/4/18

अधिसूचना

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 15 वर्ष 1956) की धारा 26 की उप–धारा (1) सपठित धारा 260 उप–धारा (1) खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 में उपखण्ड अधिकारी पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं शक्तियों का, संबंधित जिला कलक्टरों के निर्देश पर राज्य के समस्त जिलों में कार्यरत सहायक कलक्टर्स द्वारा उनके क्षेत्राधिकार के भीतर प्रयोग किया जायेगा।

यह अधिसूचनां दिनांक 01.05.2018 से 30.06.2018 तक प्रभावशील रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रामनिवास जाट)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया।
2. निजी सचिव, मा0 राजस्व मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व/विशिष्ठ शासन सचिव, राजस्व।
5. निबन्धक राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर।
6. समस्त सम्भागीय आयुक्त राजस्थान।
7. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
8. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को अधिसूचना का राजपत्र विशेषांक दिनांक 12/4/18 में प्रकाशत हेतु।
9. निदेशक, जनसंपर्क राजस्थान को प्रकाशन हेतु।
10. राविरा, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर।
11. निदेशक, जनसम्पर्क, राजस्थान को प्रेस रिलीज हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

12/4

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक पः–6(25)राज–6/2015/31 जयपुर, दिनांकः– 24-04-18

–: अधिसूचना :–

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम सं. 15 वर्ष 1956) की धारा 260 की उप धारा (1) खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि स्कूलों, कॉलेजो, चिकित्सालयों, तथा लोकोपयोगी प्रयोजन के अन्य भवनों के निर्माण हेतु अनाधिवासित सरकारी कृषि भूमियों के आवंटन के संबंध में जारी इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 5(109) राजस्व–ब/60 दिनांक 20.7.1963 के खण्ड 1 के द्वितीय परन्तुक में वर्णित किस्म की भूमियों (माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिबंधित भूमियों को छोडकर) का आवंटन केवल राजकीय विभागों को उक्त आदेश के खण्ड 4 में वर्णित आंवटन प्राधिकारी द्वारा खण्ड 2 में निर्धारित आवंटित किये जा सकने वाले अधिकतम क्षेत्र तक उक्त आदेश व संबधित नियमों के अध्याधीन राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना दिनांक 30.06.2018 तक किया जा सकेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

24/4/18

(रामनिवास जाट)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री राजस्व राजस्व विभाग (स्वतंत्र प्रभाव)
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, राजस्व विभाग।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. समस्त जिला कलक्टर्स, राजस्थान।
7. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
8. निदेशक, राजस्व प्रशिक्षण संस्थान अजमेर।
9. आयुक्त , उपनिवेशन विभाग, बीकानेर।
10. सूचना जनसम्पर्क निदेशालय जपुर।
11. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को अधिसूचना का राजपत्र के विशेषांक दिनांक 24-4-18 में प्रकाशन हेतु।
12. समस्त संयक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव, राजस्व विभाग।
13. रक्षित पत्रावली।

24/4/18

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्रम स. प.9(15) राज–6/2005/पार्ट/32 जयपुर, दिनांकः 24-04-18

अधिसूचना

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (वर्ष 1956 का अधिनियम संख्या 15) की धारा 260 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि राजस्थान भू राजस्व (कृषि भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम 18 के उप–नियम (4) के परन्तुक में जोधपुर विकास प्राधिकरण, अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास या नगर निगम या नगर परिषद के नगरीय सीमा या उपांत पटटी मे सम्मिलित कर ली गई भूमियों पर खातेदारी अधिकार दिये जाने के संबंध में जिला कलक्टर के पूर्व अनुमोदन की शक्तियों का प्रयोगं संबधित उपखण्ड अधिकारी द्वारा राजस्व लोक अदालत अभियान–न्याय आपके द्वार–2018 की अवधि के दौरान उनके क्षेत्राधिकार के भीतर संबधित नियमों के अनुसार किया जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(हस्ताक्षर) 24/4/18
(रामनिवास जाट)
सयुंक्त शासन सचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री राजस्व राजस्व विभाग (स्वतंत्र प्रभाव)
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, राजस्व विभाग।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. समस्त जिला कलक्टर्स, राजस्थान।
7. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
8. निदेशक, राजस्व प्रशिक्षण संस्थान अजमेर।
9. आयुक्त , उपनिवेशन विभाग, बीकानेर।
10. सूचना जनसम्पर्क निदेशालय जपुर।
11. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को अधिसूचना का राजपत्र के विशेषांक दिनांक 24-04-18 में प्रकाशन हेतु।
12. समस्त संयक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव, राजस्व विभाग।
13. रक्षित पत्रावली।

(हस्ताक्षर) 24/4/18
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

पत्रांक: 1(43) राज.–6/16/33 जयपुर, दिनांक २५-०५-१8

अधिसूचना

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 15 वर्ष 1956) की धारा 20 खण्ड (ख) का उपखण्ड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा राजस्थान प्रशासनिक सेवा संवर्ग के निम्नलिखित परीवीक्षाधीन अधिकारियों को जिन्हें कार्मिक (क–4) विभाग की आज्ञा क्रमांक प. 1(3) कार्मिक/क–4/2017, दिनांक 15.03.2018 के द्वारा उनके नाम के सम्मुख अंकित जिलों में सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (प्रशिक्षण) के पद पर पदस्थापित किया गया है, को सहायक कलक्टर उनके क्षेत्राधिकार के भीतर नियुक्त करती है:–

क्र.सं.	नाम अधिकारी (सर्वश्री/सुश्री/श्रीमती)	फील्ड प्रशिक्षण हेतु आवंटित जिला
1.	अनिल कुमार सिंघल	धौलपुर
2.	देवयानी	झुंझुनू
3.	सुखा राम	प्रतापगढ
4.	प्रशान्त शर्मा	राजसमन्द
5.	प्रमोद सिरवी	पाली
6.	हवाई सिंह यादव	दौसा
7.	अशोक कुमार	हनुमानगढ
8.	रमेश कुमार	जालौर
9.	देवेन्द्र सिंह परमार	भरतपुर
10	महावीर	जोधपुर
11.	पुष्पा कंवर सिसोदिया	जोधपुर
12.	विकास पंचोली	बून्दी
13.	राम कुमार वर्मा	बीकानेर
14.	मुकेश कुमार मीणा	करौली
15.	महीपाल सिंह	उदयपुर

16	संजय गौयल	हनुमानगढ
17.	दिपांशु सांगवान	अजमेर
18.	मुकेश चौधरी	कोटा
19.	अंशुल सिंह	उदयपुर
20.	आकांशा बैरवा	बाडमेर
21.	राम निवास बुगालिया	सिरोही
22.	वीरमा राम	बांसवाडा
23.	अभिषेक चारण	डूंगरपुर
24.	पवन कुमार	अलवर
25.	सुनीता यादव	भीलवाडा
26.	राहुल सैनी	कोटा
27.	समदर सिंह भाटी	पाली
28.	प्रियंका तलानिया	गंगानगर
29.	निशा सहारण	जयपुर
30.	मनीषा लेघा	चूरू
31.	दिनेश विश्नोई	पाली
32.	केशव कुमार मीना	झालावाड
33.	सुमन सोनल	जैसलमेर
34.	पिंकी मीणा	टोंक
35.	हर्षित वर्मा	अजमेर
36.	मनोज कुमार वर्मा	सवाई माधोपुर
37.	अमित कुमार वर्मा	करौली
38.	निधि सिंह	अलवर
39.	संजू मीणा	अलवर
40.	सन्तोष कुमार मीणा	बारां
41.	बृजेन्द्र मीणा	सीकर

42.	रामवतार मीणा	भीलवाडा
43.	निधि चौहान	जयपुर
44.	हीना कल्ला (Blind)	जोधपुर
45.	बिन्दु बाला राजावत	चितौडगढ
46.	नीलम लखारा	उदयपुर
47.	शीलावती मीणा	सीकर
48.	बिन्दु खत्री	नागौर

राज्यपाल की आज्ञा से,

24/4/18

(रामनिवास जाट)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशिष्ठ सचिव, मा0 राजस्व मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
5. निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव, राजस्व विभाग।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
8. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
9. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
10. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक ......24-04-2018.... प्रकाशन हेतु।
11. राविरा राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
12. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–4) विभाग।
13. उप निबन्धक (वित्त एवं लेखा) राजस्व मण्डल, अजमेर।
14. रक्षित पत्रावली।

24/4/18

संयुक्त शासन सचिव